।।कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत कोटडा जिला उदयपुर राज।।

क्रमांकः–1413 दिनांकः–02.10.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महो,

जिला उदयपुर राज

विषयः–परिवादी श्री GYANESH KUMAR R/O S-1,JHARKHAND APPARTMENT, JHARKHAND के सीएम हैल्प लाईन

परिवाद नं 09200678707466 के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः–श्रीमान कार्यालय आदेश क्रमांकः–प–6( ) उदय/अप/परि/सीएम–181/20/ईमेल दिनांक

30.09.2020 की पालना में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि दिनांक 14.09.2020 को प्रमुख समाचार पत्र पत्रिका जयपुर संस्करण मै प्रकाशित खबर हथियार लेकर पहुँचे लोग,सुरक्षा की गुहार" के संबंध में श्रीमान कार्यालय से जरिये ई–मेल इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिस पर इस संबंध में जॉच रिपोर्ट एवं छपी खबर के हालात थानाधिकारी पुलिस थाना कोटडा से तलब कि तो बताया कि दिनांक 13.09.2020 को प्रार्थी– श्री लालु पिता नाथा जाति बुम्बडीया निवासी हडमत थाना कोटडा ने उपस्थित थाना हो एक लिखित रिपार्ट खिलाफ 1. विरीया पिता लालु खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा 2. पपु पिता भुईला खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा 3. राईसा पिता देवा खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा 4. मिरिया पिता मीना खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा 5. नारिया पिता होमा खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा 6. लालु पिता भाडिया खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा 7. शंकर पिता होमा खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा 8. बका पिता लालु खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा 9. साईबा पिता सान्ती खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा 10. रिमा पिता लालु खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा 11. नाथा पिता वालीया खैर नि0 सोन्द्रफ थाना कोटडा रिपोर्ट पेश कि की मृतक श्री रेशमा पिता देवा खैर की नदी मे डुबकर मर जाने से झुठी शंका को लेकर हम बुम्बडीया जाती के परिवार वालो को आये दिन अभियुक्तगण रंजिश से हमला करने व जाने से मरने मारने पर आमाद हो दिनांक 27–08–2020 से चढोतरा कर रहै है अभियुक्तगणो ने पुर्व मे गुलाब पिता सका को तलवार से जाने से मारने का प्रयास किया था। जिसकी सुचना भी थाना कोटडा मे समय पर दी है तथा कल दिनांक 12–09–2020 कर रात्री को मुझ प्रार्थी लालु व वहता के घर पर पत्थर से हमला किया जिससे वसुन्धरा पुत्री वहता के चोटे आई व लालु मुझ प्रार्थी पर बन्दुक से विरिया पिता लालु खैर निवासी सौन्द्रप ने फायर किया पर निशाना चुक जाने से मुझ प्रार्थी की जान बच गई है अभियुक्तगण रेशमा की हत्या की झुठी शंका को लेकर बार बार हमारे बुम्बडीया परिवार वालो को जान से मारने का प्रयास कर रहै है। व तोड फोड लुट पाट कर रहै है तथा सरवर पिता धरमा के 50 मुर्गा मुर्गी ले गये वगैरा एवं हमारे परिवार वालो की जान माल का अभियुक्तो से पुरा खतरा बना हुआ है मौके के गवाह वहता ,सरवर,वसुन्धरा वगैरा है। अतः प्रार्थना है अभियुक्तो के विरुद्व कानुनी कार्यवाही कराई जाकर न्याय दिलाई जावे।

वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण सं 133/2020 धारा 147.148.336.323.427.307.379.149 भादस में दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया। दिनांक 12.09.2020 को उपरोक्त घटना की सूचना टेलीफोन से मिली जिस पर रात को करीब 10.30 पीएम पर थाने से मन थानाधिकारी व जाप्ता के आमदा सूचना पर गांव हडमत पहुचे जहॉ रोड पर आदीवासी समाज के लोग हाथों में लटठ व तीर धनुष लेकर घूमते मिले व एक मकान पर ढोल बजा रहे थे जहॉ पर हमराह जाप्ता के पैदल पैदल पहुचा व देखा तो करीब 200.250 महिला आदमी बच्चे थे तथा आस पास खेतों में भी करीब 500 मीटर की दुरी पर लोग टोर्च लेकर घुम फिर कर देख रहे थे जिनसे वार्ता की गई तो बताया कि विगत 5 दिन से कोई झुण्ड बनाकर आते है तथा नदी की तरफ से आकर घरों पर पत्थराव करते हैं। आज करीब 07.30 बजे हल्की हल्की बारिश हो रही थी कि लालु पिता नाथ बुम्बडीया के घर के सामने भुडका (फायर) की आवाज आई जिस पर हम गांव वाले एकत्रित हो गये और हमरे गांव वालों द्वारा घेरा डाला व मक्का के खेत में काफी ढुंढा परन्तु कोई नजर नहीं आया लालु के घर का दरवाजा जो कि लोहे का बना हुआ है। जिसके पत्थर लगने से दो जगह मोच है मौके पर उपस्थित लोगों को कानुनी कार्यवाही बाबत रिपोर्ट देने हेतु कहा तो लालुराम ने सुबह आकर रिपोर्ट देना बताया गया। दिनांक 13.09.2020 को प्रार्थी व

उसके समाज के लोग कानूनी कार्यवाही हेतु थाने पर उपस्थित हो एक लिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर उपरोक्त प्रकरण दर्ज किया गया एवं हथियार के बारे में पुछा तो बताया कि रास्ते में घना जंगल होने के कारण एवं जंगली जानवारों व विरोधियो के डर से हथियार लेकर आये हैं।

दर्ज प्रकरण के अनुसंधान में बयान प्रार्थी व गवाहानों के लेखबद्ध किये गये एवं आस पास के लोगों से भी घटना के बारे में पुछा तो मक्की की फसल में रात्री के समय जगंली जानवर आने से फसल की रखवाली करने वालों द्वारा पत्थर फेंक कर जंगली जानवरों को भगाये जाते हैं। आसपास निवासरत लोगो ने किसी को पत्थर मारते हुये नहीं देखे। घटना स्थल पर पहुँच घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया कि प्रार्थी के बताये अनुसार कोई पत्थर मारना व भुडके (फायर) के निशान जाहीर नहीं होता है। उपरोक्त प्रार्थी व उसके परिवार वाले पूर्व रितिनुसार एवं रास्ते में घना जंगल होने के कारण जंगली जानवरों डर से व विरोधियो के डर के कारण एवं पूर्वज रिती अनुसार हथियार साथ लेकर चलने का होने से उक्त लोग थाने के ठीक सामने गांधी ग्रउंड मैदान में एकत्रित हुए थे। दर्ज प्रकरण के प्रार्थी पक्ष व अप्रार्थी पक्ष के बिच पुर्व की आपसी रंजीश होने के कारण उक्त रिपोर्ट पेश की है। एवं विरोधी पक्ष को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु हस्प दफा107–151सीआरपीसी में गिरफतार कर सबंन्धित न्यायालय से पाबन्द कराये गयें है। एवं प्रकरण में अनुसंधान जारी है जैसी सूरत होगी वैसी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिवाद जॉच रिपोर्ट मय दर्ज प्रकरण की रिपोर्ट श्रीमान की सेवामे अवलोकनार्थ सादर पेश है।

भवदीय

पुलिस उप अधीक्षक
वृत कोटडा उदयपुर